न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प नगर परिषद बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ राम,आर.ए.एस.

अपील संख्या 03/2017

<u>अपीलान्ट</u>	बनाम	<u>रेस्पोडेन्ट</u>
लवकुश मीणा पुत्र हुकमसिंह मीणा निवासी बिरहरू तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर जरिए खास मुख्त्यार मनोज शर्मा पुत्र श्री रामावतार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ए–83,शिवनगर झौटवाड़ा,जयपुर जिला जयपुर		1. ग्राम पंचायत सांभरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सांभरा तह. पचपदरा 2. मांगाराम पुत्र देवा जाति भील नि0 सांभरा तहसील पचपदरा 3. रावताराम पुत्र देवा जाति भील नि0 सांभरा तहसील पचपदरा 4. हल्का पटवारी खेड़

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध सरपंच ग्राम पंचायत सांभरा तहसील पचपदरा नामान्तरकरण संख्या 481 आदेश दिनांक 20.10.2015 ग्राम सांभरा</u>

<u>उपस्थित</u>

अपीलान्ट वकील

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 15.06.2018

अपीलान्ट अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेसपोडेन्ट सं 1 ग्राम पंचायत सांभरा के सरपंच द्वारा खसरा नं 18 रकबा 21 बीघा 14 विस्वा भूमि सरहद मौजा सांभरा का नामांतरकरण अपीलांट के नाम नामांतरण सं 481 आदेश दिनांक 20.10.2015 के द्वारा अस्वीकृत करने मे कानून एवं न्याय की दृष्टि से भूल की है।

अपीलान्ट के द्वारा खसरा नं 18 रकबा 21 बीघा 14 विस्वा भूमि सरहद मौजा सांभरा के जरिये रजिस्ट्री दिनांक 22.09.2015 को उप पंजीयक पचपदरा के पंजीयन क्रमांक 2525 दि.22.09.2015 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया गया था । रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत सांभरा के द्वारा अपीलालान्ट की सुनवाई किये बिना नामान्तरकरण संख्या 481 आदेश दिनांक 20.10.2015 के अस्वीकृत करने में कानून एवं न्याय की दृष्टि से भूल की है।

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाकर नामान्तरण संख्या 481 आदेश दिनांक 20.10.2015 को सरपंच ग्राम पंचायत सांभरा को निरस्त करने का आदेश फरमावे एवं अपीलान्ट के नाम रजिस्ट्री बेचान के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार कराकर अपीलान्ट के नाम बतौर खातेदार खसरा नं 18 रकबा 21 बीघा 14 विस्वा भूमि सरहद मौजा सांभरा की भूमि की खातेदारी का इन्द्राज कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कराने का आदेश फरमावे।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टान के विरूद्ध दिनांक 15.03.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(भागीरथ राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प 2018

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट वकील की बहस सुनी गई । हमनें अपीलान्ट द्वारा पेश अपील व सलग्न प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन कर मनन किया । अपीलान्ट द्वारा भूमि खरीद की गई जिसका पंजीबद्व दस्तावेज सं. 201503082102525 दिनांक 22.09.2015 पेश किया जो उपपंजीयक से पंजीबद्व है। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण अस्वीकार करने का कोई कारण अंकित नहीं किया न ही उपस्थित हुये व नहीं पंचायत बैठक का रेकर्ड पेश किया गया। पंजीबद्व दस्तावेज से खरीद की गई भूमि पर वैधानिक अधिकार अपीलान्ट का ही है।

अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत करने में जो सद्भाविक देरी हुई है उसके संबंध में धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र भी अलग से, अपील के अन्दर म्याद शुमार करने हेतु पेश किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। मौजा सांभरा के खसरा 18 रकबा 21 बीघा 14 विस्वा की भूमि का नामान्तरकरण सं. 481 पर सरपंच ग्राम पंचायत सांभरा का आदेश दिनांक 20.10.2015 को निरस्त (अपास्त) किया जाता है । व पटवारी हल्का खेड़ को निर्देश दिये जाते है कि पंजीबद्व दस्तावेज सं.2525 दिनांक 22.09.2015 के अनुसार पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण पारित कर सम्बंधित सर्कल अधिकारी को पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट नगर परिषद बालोतरा में खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा — मुहर)

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प..नगर परिषद बालोतरा

Scanned by CamScanner